न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 761/ 2019

1 अमृतपाल सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह उम्र 22 वर्ष जाति जटसिख निवासी दलियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

2 प्रितपाल सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह उम्र 20 वर्ष जाति जटसिख निवासी दलियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

वादीगण

बनाम

1 दर्शन सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी दलियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

2 मुख्त्यार सिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी दलियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

3 सुखप्रीतकौर पुत्री दर्शन सिंह पत्नी सुखमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज0।

4 कोमलप्रीतकौर पुत्री मुख्त्यार सिंह पत्नी दिलबाग सिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ राज0।

5 मनजीतकौर पत्नी सुखमन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी दलियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

6 मनप्रीतकौर पुत्री सुखमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी दलियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

7 हरप्रीतकौर पुत्री सुखमन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी दलियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एव 136 एल आर एक्ट

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री मेजर सिह अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रामकुमार जावलाल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 7

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

दिनांक :– 06.01.2020

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण के दादा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 5 बीजीएस की जमाबंदी सं0 2070–2073 के खाता सं0 56/50 मे 0.797 हैक्टयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसी चक के खाता सं0 52/48 मे 0.506 हैक्टयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा चक नं0 4 बीज़ीएस के खाता सं0 44/40 मे 0.190 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसी खाता मे 3.800 हैक्टयर भूमि अलग से दर्ज तथा वादी सं0 2 के पिता , प्रतिवादी सं0 2 व प्रतिव्रादी सं0 5 के पति , प्रतिवादी सं0 6 व 7 के पिता के नाम 0.379 हैक्टयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इस प्रकार से दोनो चको मे कुल 5.672 हैक्टयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार माल है जो परिवार की पैतृक सम्पति है। उक्त जमाबंदीयो की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वादपत्र है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज उक्त आराज़ी तथा प्रतिवादी सं0 2 तथा वादी सं0 2 तथा प्रतिवादी सं0 5 के पति व प्रतिवादी सं0 6 व 7 के नाम 5.672 हैक्टयर भूमि को अर्सा करीब 3 वर्ष पूर्व घरूतौर पर बंटवारा कर लिया था तथा उसी समय से वादीगण अपने हक व हिस्सा मे आई आराजी पर कब्जा काश्त मे चले आ रहे है।चक नं0 5 बीजीएस के खाता सं0 56/50 मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम की 0.797 हैक्टयर तथा खाता सं0 52/48 की 0.506 हैक्टयर भूमि तथा चक नं0 4 बीजीएस के खाता सं0 44/40 की प्रतिवादी सं0 2 कमे नाम 0.190 हैक्टयर तथा प्रतिवादी सं0 2 व वादी सं0 2 के पिता तथा प्रतिवादी सं0 5 के पति , 6 व 7 के पिता के नाम 0.379 हैक्टयर भूमि अर्थात दोनो चको मे तीनो खातो की कुल 1.872 हैक्टयर भूमि ब0हि0ब0 वादीगण के हक व हिस्सा मे आई जिसे वादीगण 1.872 हैक्टयर भूमि ब0हि0ब0 अपने नाम करवाने के हकदार एवं अधिकारी है। वादीगण के हक व हिस्सा मे आई घरूतौर पर बंटवारा की आराजी 1.872 हैक्टयर ब0हि0ब0 अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है पैतृक सम्पति होने के कारण जिसके हकदार एवं अधिकारी है। राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 4 बीजीएस के खाता सं0 44/40 मे वादी सं0 2 के पिता, व प्रतिवादीया सं0 5 के पति व प्रतिवादी सं0 6 व 7 के पिता स्वर्गीय सुखमन्दर सिंह का नाम राजस्व कर्मचारीयो द्वारा सहवन से राजस्व रिकार्ड मे गुरमन्द्र सिंह अंकित हो गया है जिसे दुरूस्त करवाकर गुरमन्द्र सिंह के स्थान पर सुखमन्दर सिंह करवाने के हकदार एवं अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

अतः वाद वादीगण की तरफ से पेश कर निवेदन है कि राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 5 बीजीएस के खाता सं0 56/50 मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज 0.797 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 दर्शन सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.797 हैक्टयर आराजी के वादीगण सं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। राजस्व तहसील सादुलशहर के वाके चक नं0 5 बीजीएस के खाता सं0 52/48 मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज 0.506 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 दर्शन सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.506 हैक्टयर आराजी के वादीगण सं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। चक नं0 4 बीजीएस के खाता सं0 44/40 मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज 0.190 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 दर्शन सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.190 हैक्टयर आराजी के वादीगण सं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।चक नं0 4 बीजीएस के खाता सं0 44/40 मे प्रतिवादी सं0 2 के नाम व वादी सं0 2 के पिता, प्रतिवादीया सं0 5 के पति, प्रतिवादी सं0 6 व 7 के पिता मृतक सुखमन्दर सिंह (गुरमन्द्र सिह) के नाम ब0हि0ब0 दर्ज 0.379 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 2 मुख्यार सिंह व वादी सं0 2 पिता मृतक सुखमन्दर सिंह (गुरमन्द्र सिंह) का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.379

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

हैक्टयर आराजी के वादीगण सं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। चक नं0 4 बीजीएस के खाता सं0 44/40 मे वादी सं0 2 के पिता, व प्रतिवादीया सं0 5 के पति व प्रतिवादी सं0 6 व 7 के पिता स्वर्गीय सुखमन्दर सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड मे गुरमन्द्र सिंह अंकित है जिसे दुरूस्त किया जाकर गुरमन्द्र सिंह के स्थान पर सुखमन्दर सिंह किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने जरिये वकील उपस्थित होकर वाद पत्र के कथनों के अनूसार राजीनामा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादीगण ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, जिसका बंटवारा होकर एव अपने अपने हक हिस्सा में होना सभी पक्षकारान ने स्वीकार किया है। वादीगण द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है एव वादीगण के कथनों के सम्बध में प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया है, इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को अभिकथनों, दस्तावेजी साक्ष्यों, राजीनामा व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– (1) चक नं0 5 बीजीएस के खाता सं0 56/50 मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज 0.797 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 दर्शन सिह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.797 हैक्टयर आराजी के वादीगण सं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चक नं0 5 बीजीएस के खाता सं0 52/48 मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज 0.506 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 दर्शन सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.506 हैक्टयर आराजी के वादीगण सं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चक नं0 4 बीजीएस के खाता सं0 44/40 मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज 0.190 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 1 दर्शन सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.190 हैक्टयर आराजी के वादीगण सं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चक नं0 4 बीजीएस के खाता सं0 44/40 मे प्रतिवादी सं0 2 के नाम व वादी सं0 2 के पिता, प्रतिवादीया सं0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

5 के पति, प्रतिवादी सं0 6 व 7 के पिता मृतक सुखमन्दर सिंह (गुरमन्द्र सिह) के नाम ब0हि0ब0 दर्ज 0.379 हैक्टयर आराजी मे से प्रतिवादी सं0 2 मुख्त्यार सिंह व वादी सं0 .2के पिता मृतक सुखमन्दर सिंह (गुरमन्द्र सिंह) का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.379 हैक्टयर आराजी के वादीगण सं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

(2) चक नं0 .4 बीजीएस के खाता सं0 44/40 मे वादी सं0 2 के पिता, व प्रतिवादीया सं0 5 के पति व प्रतिवादी सं0 6 व 7 के पिता स्वर्गीय सुखमन्दर सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाकर " गुरमन्द्र सिंह" के स्थान पर "सुखमन्दर सिंह" दर्ज किये ज़ाने के आदेश दिये जाते है।

उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

(हस्ताक्षर) 6/1/2020
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: